विधानसभा

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227275, ई–मेल Seprd1235@gmail.com

क्रमांक एफ 4 (53) पराவि/पीसी/जजयो/क्रियान्वयन/12/ 520 जयपुर दिनांक 14-2-18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् समस्त।

विषयः–जनता जल योजना के पम्प चालकों को मानदेय भुगतान बाबत्।
प्रसंगः–विभागीय समसंख्यक पत्रांक 2345 दिनांक 18.08.17, पत्रांक 2351 दिनांक 21.08.17, पत्रांक 2399 दिनांक 29.08.17 एवं पत्रांक 2482 दिनांक 06.09.17 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों का अवलोकन करें। जिनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2016 की पालना के क्रम में जनता जल योजना के पम्प चालकों को न्यूनतम मजदूरी दर की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे एवं इस क्रम में आपके द्वारा मुख्यालय को यह सूचना प्रेषित की गई थी कि जनता जल योजना के पम्प चालकों को न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

विधानसभा सत्र के दौरान पम्प चालकों को न्यूनतम वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में मुद्दा उठने पर मा0 मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में जनता जल योजनान्तर्गत पम्प चालकों को न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि जनता जल योजना के पम्प चालकों को न्यूनतम मजदूरी दर (वर्तमान में राशि रू0 207/–प्रतिदिन के अनुसार कुल रू0 5382/– मासिक के अनुसार) भुगतान कराना सुनिचित करावे। यह राशि ग्राम पंचायतों द्वारा उनको प्राप्त अनुदान राशि से वहन की जायेगी। खण्ड एवं जिला स्तर पर होने वाली बैठकों में भी इन निर्देशों की क्रियान्विती बाबत् चर्चा की जावें।

भवदीय,

(नवीन महाजन)
आयुक्त एवं सचिव पंराज

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंराज।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
9. ए.सी.पी., पंचायती राज को वैबसाईट पर अपलोड हेतु।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता